कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1841 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून, ~~जनवरी~~ फरवरी I, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषयः जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में जिला योजना के अन्तर्गत क्यारी सुरकन्डा नामे तोक में 11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.60 है0वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण), 1980 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः प्रस्ताव संख्या FP / UK / VELEC / 13267 / 2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक 2131/ 12–1 दिनांक 07–1–2016 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में जला योजना के अन्तर्गत क्यारी सुरकन्डा नामे तोक में 11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.60 है0वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण), 1980 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0 को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

प्रस्तावित11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
मसूरी वन प्रभाग / देवलसारी रेंज	आरक्षित वन भूमि क्यारी कक्ष सं03 बी तथा 4	2000 X 2.5	0.500	रिक्त	बांज वृक्ष नहीं हैं
	सिविल भूमि ग्राम क्यारी पट्टी पालीगाड़ तहसील धनोल्टी जिला टिहरी ग0	2 X 3 2 X 1 2 X 1	0.100	रिक्त	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि		0.600		रिक्त

प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी ने प्रस्तावित विद्युत लाईन निर्माण हेतु कोई वृक्ष बाधित नहीं होना सूचित किया गया है। जिलाधिकारी, टिहरी के द्वारा वांछित वन भूमि की मांग न्यूनतम होने संबंधी प्रमाण पत्र दिया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,मसूरी की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त प्रस्ताव की ~~तीन~~ दो प्रतियों में हार्ड प्रति साथ ही उपलब्ध करायी जा रही है, जिसकी प्राप्ति उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि प्राप्ति ऑन लाईन प्रेषित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वत उत्तराखण्ड,देहरादून ।

दिनांक 01-2-2016

संख्या 1841 (1) / 12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय मसूरी को उनके पत्रांक 2131/ 12–1 दिनांक 07–1–2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन, लि0 टिहरी गढ़वल को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्प्रेक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर में जला योजना के अन्तर्गत क्यारी सुरकन्डा नामे तोक में 11 के0वी0 लाईन के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.60 है0वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण), 1980 के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को 30 वर्ष की लीज पर हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक – 01 ~~जनवरी~~ मार्च, 2016
स्थान – देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम – (आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून